

गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गाँव के निकट

सिटी फॉरेस्ट

*Handwritten signature*  
18/11/22

H.O

में

एडवेन्चर जोन संचालन हेतु नियम एवं शर्तों की विवरणिका।



एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प

मूल्य (जी०एस०टी० सहित)– ₹ 1298.00/-



गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2000 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

एडवेन्चर जोन संचालन हेतु नियम व शर्तें

कार्य का नाम— हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गाँव के निकट सिटी फॉरेस्ट में एडवेन्चर जोन संचालन का कार्य।

1. एडवेन्चर जोन संचालन की अवधि 5 वर्ष होगी।
2. प्रस्तावक को ₹ 50,000.00 (पचास हजार) मात्र धरोहर राशि डी0डी0 के रूप में जमा करने होंगे, जो उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी, तथा कार्य की निर्धारित अवधि (पाँच वर्ष) पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। सर्वोच्च बोलीदाता की उक्त धनराशि जमानत के रूप में जमा रहेगी। यह धनराशि सर्वोच्च बोली की राशि में समायोजित नहीं होगी।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, आधार कार्ड व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
4. यह कि इस नीलामी पर एडवेन्चर जोन संचालन कार्य का वार्षिक नीलामी अंशदान प्रत्येक वर्ष नीलामी वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख दिनांक ..... से दिनांक..... तक पाँच वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगा, नीलामी विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार नीलामी विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा। संचालनकर्ता को प्रत्येक वर्ष नीलामी की धनराशि में 10.00 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो भी अधिक हों के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।
5. यह कि नीलामी पर दी गयी एडवेन्चर जोन स्थल का कब्जा कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त प्रदान किया जायेगा। नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और संचालनकर्ता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो अनुज्ञप्ति ग्रहिता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. यह कि नीलामी अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही नीलामी विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त नीलामी नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। नीलामी नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर नीलामीदाता को स्थल का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।
7. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस-पास की सफाई तथा क्षेत्र का रख-रखाव का पूर्ण दायित्व नीलामीदाता का होगा और नीलामीदाता अपने खर्च पर आवश्यक व्यवस्था स्वयं करेगा।
8. यह कि नीलामी पर दिये गये स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे बोलीदाता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
9. यह कि प्राधिकरण को नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा, तथा प्राधिकरण द्वारा दिये गये सुझाव बोलीदाता को मान्य होंगे।
10. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर केन्द्र सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क कर, जी0एस0टी0 या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व बोलीदाता का होगा, प्राधिकरण उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. सिटी फॉरेस्ट परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।

12. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
13. आयकर प्राविधानों के अनुसार समस्त कार्य हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित देयकर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप में ठेका स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
14. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
15. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
17. यदि एडवेंचर जोन का ठेका समाप्त किया जाता है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
18. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
19. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
20. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी जन सामान्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
21. संचालनकर्ता को निम्न दरों को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। तदानुसार ही संचालनकर्ता धनराशि वसूल कर सकेगा। यदि संचालनकर्ता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो नीलामी निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।
22. संचालनकर्ता द्वारा एडवेंचर जोन में प्रवेश शुल्क ₹ 25.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।
23. एडवेंचर जोन में निम्न एडवेंचर गतिविधि स्थापित की गयी हैं, जिनका संचालन संचालनकर्ता को प्रशिक्षित स्टाफ की देख-रेख में कराना होगा।


1. कमाण्डो नेट	₹ 30.00 प्रति व्यक्ति एक बार
2. बरमा ब्रिज	₹ 30.00 प्रति व्यक्ति एक बार
3. रैम्प जम्प	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
4. हैण्ड वॉक	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
5. क्लाइमिंग वॉल	₹ 50.00 प्रति व्यक्ति एक बार
6. बैलेन्सिंग बीम	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
7. टनल	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
8. टायर जम्प	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
9. मंकी क्रोलिंग	₹ 20.00 प्रति व्यक्ति एक बार
10. प्लेटफार्म जम्प	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
11. जिगजैग वॉक	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
12. लेडर जम्प	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
13. वॉल जम्प	₹ 10.00 प्रति व्यक्ति एक बार
14. टार्जन स्वींग	₹ 20.00 प्रति व्यक्ति एक बार
<b>एडीशनल</b>	
1. पैरा सैलिंग	₹ 200.00 प्रति व्यक्ति एक बार
2. जोरविंग	₹ 100.00 प्रति व्यक्ति एक बार



3. स्टार बेजिंग ₹ 50.00 प्रति व्यक्ति एक बार
4. फ्लाइंग फॉक्स ₹ 100.00 प्रति व्यक्ति एक बार
5. हिटिंग द वॉल ₹ 50.00 प्रति व्यक्ति एक बार
24. एडवेन्चर जोन की दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
25. एडवेन्चर जोन में किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी। प्राधिकरण की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
26. संचालनकर्ता को प्राथमिक चिकित्सा प्रतिभागियों को उपलब्ध करानी होगी।
27. प्रतिभागियों से संचालनकर्ता द्वारा स्थल पर टूट, फूट व मरम्मत आदि के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग लिया जायेगा, तथा चेतावनी पट्टिका संचालनकर्ता को लगानी होगी।
28. एडवेन्चर जोन एरिया धूम्रपान एवं तम्बाकू वर्जित क्षेत्र होगा।
29. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विभागीय/स्टाफ के लिए शर्त संख्या-23 में इंगित संचालित गतिविधियों में लिये जाने वाले शुल्क को निःशुल्क रखना होगा।
30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
31. निर्धारित दरो से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
32. नीलामीदाता एडवेन्चर जोन स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/टेला अथवा हॉर्कर्स की स्थापना नहीं करेगा, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त करते हुए जमा धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।
33. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट-फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
34. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख-रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति बोलीदाता/एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।
35. एडवेन्चर जोन संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा।
36. एडवेन्चर जोन व्यवस्था संचालन में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
37. एडवेन्चर जोन संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
38. संचालनकर्ता द्वारा अपने नाम के साथ-साथ प्राधिकरण के लोगो एवं नाम का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा। स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया जायेगा जिससे स्वामित्व का आभास होता हो।
39. एडवेन्चर जोन संचालन एजेन्सी को सिटी फॉरेस्ट के पर्यावरण नियम एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा।
40. स्थल पर विद्युत कनेक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा, लेकिन विद्युत उपयोग की की प्रतिपूर्ति का भुगतान बोलीदाता द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जायेगा, समय से भुगतान न



- करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा।
- 41.. यदि एजेन्सी द्वारा समय से पूर्व कार्य को समर्पण (Surendar) किया जाता है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि ₹ 50,000.00 मात्र जब्त कर ली जायेगी।
  42. संचालनकर्ता द्वारा निर्धारित धनराशि जमा कराये बिना कार्य छोड़ने अथवा वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भौति तहसील के माध्यम से 15.00 प्रतिशत पैनल ब्याज के साथ की जायेगी।
  43. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर दिया जायेगा तथा एडवेन्चर जोन संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।



उद्यान अधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद



मैने उपरोक्त 1 से 43 तक सभी शर्तों को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर ₹..... शब्दों में ..... प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक/51/उद्यान/22


दिनांक 05/09/2022

## नीलामी सूचना

उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से प्राधिकरण की विभिन्न योजना में निम्नानुसार कार्य हेतु नीलामी प्रस्तावित है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	समय अपरान्त-3:30 बजे				स्थल-प्राधिकरण सभागार			
		स्थलों की संख्या	ठेका अवधि	आरक्षित दर (एक वर्ष के लिए ₹)	फार्म फीस जी0एस0टी0 सहित	धरोहर राशि (₹)	फार्म विक्रय की प्रारम्भ तिथि	फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि	नीलामी आहुत करने की तिथि
1.	हिण्डन नदी के किनारे करहैडा स्थित सिटी फॉरेस्ट के निकट (एम्यूजमेंट) झूला संवाहन का कार्य।	01	5 वर्ष	32,500.00	1298.00	50,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
2.	हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गाँव के निकट सिटी फॉरेस्ट में एडवेंचर जोग संवाहन का कार्य।	01	5 वर्ष	1,61,051.00	1298.00	50,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
3.	राजेन्द्र नगर स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क में प्रवेश शुल्क व्यवस्था संवाहन का कार्य।	01	2 वर्ष	30,25,000.00	1298.00	1,50,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
4.	हिण्डन नदी के किनारे करहैडा गाँव के निकट सिटी फॉरेस्ट में प्रवेश शुल्क व्यवस्था संवाहन का कार्य।	01	2 वर्ष	18,70,000.00	1298.00	2,00,000.00	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022

नीलामी से सम्बन्धित सूचना प्राधिकरण की वेबसाईट [www.gdaghaziabad.in](http://www.gdaghaziabad.in) पर देखी तथा नियम व शर्तों की विवरणिका निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करके उद्यान अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

  
उद्यान अधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

